शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन

सीमा पालीवाल*
निरूपमा शर्मा**

यह शोध पत्र दिव्यांग बालकों पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधिका द्वारा शोध अध्ययन हेतु उदयपुर संभाग के तीन ज़िलों का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाडा ज़िले के माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 150 शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया। प्रदत्तों का संकलन आर.एल. भारद्वाज द्वारा विकसित सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रमापनी के माध्यम से किया गया। इस शोध में पाया गया कि शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई तुलनात्मक अंतर नहीं है।

प्रस्तावना

याभिः श्वीभिवृषणा परावृज प्रान्धं
श्रोणं चक्षसएतवे कृथः।
याभिर्वूर्तिकां ग्रासितामयचतं ताभिरूषुः
अतिभिरश्विना गतम्।

(ऋक 1-112-8)

अर्थात् सृष्टि में जो दिव्यांग हैं वे समाज में घृणा के पात्र नहीं हों हमें उनके साथ सहृदयतापूर्ण मानवता का व्यवहार करना चाहिए अर्थात् समाज में दिव्यांगों के प्रति सद्भाव रखकर उन्हें पुरुषार्थी एवं शिक्षित बनाएँ।

सामान्यतया विधाता की इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी विविध समानताएँ रखते हुए भी एक-दूसरे से भिन्नता रखता है, यही स्थिति मानव की भी है। जीवन के उज्ज्वल एवं कालिमामय पक्ष के समान ही स्वस्थ-अस्वस्थ, सबल-निर्बल, मेधावी-मंदमति, शारीरिक दृष्टि से पूर्णतया सक्षम अथवा किसी बाधा से युक्त दिव्यांग आदि विभिन्न प्रकार के प्राणी इस

* *शोधार्थी*, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 313 001
** *व्याख्याता*, राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 313 001

जगत् में विद्यमान हैं। यद्यपि विशेष आवश्यकता वाले बालकों में किसी न किसी प्रकार की असमर्थता होते हुए भी उनमें विशिष्ट सामर्थ्य और प्रतिभा देखने को मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986 ने इन बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ भागीदारी के साथ समावेशित करने के उपायों पर बल दिया है। जिससे उन्हें सामान्य वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक स्तर के विकास के लिए जीवन के संघर्षों का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। इसी कड़ी में नि:शक्त अधिनियम— 1995 (P.W.D. Act) लागू हुआ, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को दी गई।

दिव्यांग जन अधिकार विधेयक — 2016 के अनुसार दिव्यांगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु उनकी विभिन्न प्रकार की अशक्तताओं की पहचान होना आवश्यक है। उनकी सुगमता तथा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता ही उनमें कौशल एवं रचनात्मकता का पोषण कर उन्हें दिव्यांग की विशेषता की अनुभूति करा सकती है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 दिसम्बर, 2016 को लोक सभा में दिव्यांग जन अधिकार विधेयक — 2016 पारित किया गया जो कि पुराने दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम — 1995 का स्थान लेगा। इस विधेयक के द्वारा दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर इन बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे 6 से 14 आयु वर्ग के इन बच्चों का सामान्य विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है। पूर्व में समावेशी शिक्षा योजना (Integrated Education for Disabled Children — IEDC) के अंतर्गत इन बच्चों को सम्मिलित करना संभव नहीं था। अतः माध्यमिक स्तर पर भी इसी तरह की योजना (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage — IEDSS) राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दी गई है। इसी क्रम में 1981 का वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया गया। भारत सरकार ने इन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम — 1992 पारित कर भारतीय पुर्नवास परिषद् की स्थापना की।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 के अनुसार "विकलांगता एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। इसे स्वीकार करना है, सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है – इसे तोड़ें तथा विद्यालयों में ऐसी विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करें, जिसमें सभी बालक भाग ले सकें।"

शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक वे होते हैं जिनमें शारीरिक दोष होता है और जो उन्हें किसी

रूप में उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने में बाधा डालता है या सीमित रखता है।

शिक्षा परिभाषा कोश के अनुसार, "शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक शारीरिक रूप से दोषग्रस्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति के किसी न किसी अंग में कोई असामान्य कमी होती है, जिसके कारण वह सामान्य व्यक्ति की भाँति दैनिक कार्य नहीं कर पाता है।"

पूर्व में सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित शोध अध्ययनों में सिकलीगर (2005) के अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा दिव्यांगों को विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जैसे — तिपहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, कृत्रिम पाँव आदि। गुप्ता (2008) ने अपने अध्ययन में पाया कि दिव्यांगता और गरीबी के बीच एक बड़ा रिश्ता है जो उनके जीवन को भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं से अवगत कराता है। शारीरिक रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों का सामान्य व्यवहार प्रतिकूल पाया गया। देवंगन और तोमर (2013) के अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर स्वभाव, जेंडर तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव पडता है। विदेशों में किए गए शोध अध्ययन रिचर (2000) के अध्ययन में पाया गया कि दिव्यांगों के उचित स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए धन का पुनर्गठन और स्वास्थ्य की देखभाल आवश्यक है। बिलाल, इदरीस, रिहान इल्याज़ (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि दिव्यांग विद्यार्थी अपनी आंतरिक व्यक्तित्व की शक्ति से जीवन में उपलब्धियों के लिए दृढ संकल्प थे। उनमें से बहुत कम जीवन से निराश थे, सभी शिक्षा की सकारात्मक भूमिका में विश्वास करते थे तथा सामान्य शिक्षा ने उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया था। उक्त संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित शोध का अभाव है।

समस्या कथन

शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन

पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या

शैक्षिक — शैक्षिक से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों से है।

दिव्यांग बालक — इस श्रेणी में वे बालक आते हैं, जो किसी शारीरिक त्रुटि का शिकार होते हैं और जिसके कारण वे अपने शरीर के किसी भाग को सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे बालकों की बुद्धि स्तर में कोई कमी नहीं होती है, वे सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्तर — दिव्यांग बालकों के अभिभावकों की आय और व्यवसाय में कमी के कारण इन बालकों को समाज में वह मान-सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है जो सामान्य बालक को प्राप्त होता है। सामाजिक दायरे को ध्यान में रखकर व्यक्ति के कृत कार्यों के द्वारा उत्तरोत्तर विकास और

उन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक-आर्थिक स्तर है।

उद्देश्य

इस शोध के उद्देश्य निम्न प्रकार थे —

1. शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का पता लगाना।
2. शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

इस शोध की शून्य परिकल्पना इस प्रकार थी — शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

परिसीमन

इस शोध का परिसीमन निम्न प्रकार था —

1. क्षेत्र — इस शोध हेतु उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाडा एवं डूंगरपुर ज़िलों के माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालयों का चयन किया गया।
2. स्तर — इस शोध हेतु उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाडा एवं डूंगरपुर ज़िलों के माध्यमिक स्तर के 150 शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया।
3. उपलब्धि स्तर— शारीरिक दिव्यांग बालकों के पिछली कक्षाओं के परीक्षा परिणामों को ही शैक्षिक उपलब्धि के रूप में लिया गया।

न्यादर्श

शोध अध्ययन हेतु उदयपुर संभाग के तीन ज़िलों का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाडा ज़िले के माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 150 शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया।

शोध विधि व उपकरण

शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करने के लिए 'सर्वेक्षण विधि' का चयन किया गया एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के परीक्षण हेतु आर. एल. भारद्वाज (मनोविज्ञान विभाग, डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़) द्वारा विकसित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का संकलन

प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधिका द्वारा सर्वप्रथम संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शोध अध्ययन के संबंध में पूरी जानकारी देने के पश्चात् प्रदत संकलन की अनुमति ली गई। तत्पश्चात् शोधिका द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों से तादात्मय स्थापित किया तथा उन्हें इस शोध की उपयोगिता बताई गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि इस शोध का उनके परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात् विद्यार्थियों को सामाजिक-आर्थिक स्तर प्रमापनी से संबंधित निर्देश बताकर प्रमापनी प्रशासित की गई एवं प्रमापनी पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् एकत्रित की गई।

प्रदत्तों का विश्लेषण

शोध हेतु प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण माध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' परीक्षण के द्वारा किया गया है।

निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तालिका 1 से पता चलता है कि निम्न उपलब्धि प्राप्त दिव्यांग विद्यार्थियों का माध्यमान 33.24 तथा मानक विचलन 7.481 है। मानकों का विश्लेषण के आधार पर Range of scores 30 से 39 के मध्य है। अतः उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न पाया गया। उच्च उपलब्धि प्राप्त दिव्यांग विद्यार्थियों का माध्यमान 34.05 तथा मानक विचलन 8.341 है, अतः उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर भी निम्न पाया गया।

निम्न तथा उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि निम्न उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का माध्यमान 33.24 तथा मानक विचलन 7.481 प्राप्त हुआ है तथा उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का माध्यमान 34.05 तथा मानक विचलन 8.341 प्राप्त हुआ है। निम्न उपलब्धि और उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के मध्य माध्यमान अंतर 0.813 तथा t मान 0.629 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि निम्न उपलब्धि तथा उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी आर्थिक आधार पर समाज में वितरित

तालिका 1 — उपलब्धिवार माध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

उपलब्धि	माध्यमान	मानक विचलन	श्रेणी का आधार
निम्न उपलब्धि	33.24	7.481	निम्न
उच्च उपलब्धि	34.05	8.341	निम्न

तालिका 2 — निम्न तथा उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्याथियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

सामाजिक-आर्थिक स्तर	माध्यमान	N	मानक विचलन	माध्यमान की मानक त्रुटि	माध्यमान अंतर	t मान	'P' मान
निम्न उपलब्धि	33.24	75	7.481	0.864	0.813	0.629	0.531*
उच्च उपलब्धि	34.05	75	8.341	0.963			

*0.05 सार्थकता स्तर

नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर लगभग एक समान होता है, इसलिए इसमें सार्थक अंतर नहीं होता है। अतः परिकल्पना, शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

1. शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न स्तर का पाया गया।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक रूप से निम्न एवं उच्च उपलब्धि प्राप्त शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शैक्षिक निहितार्थ

यह शोध अध्ययन विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं आदि के लिए उपयोगी है। शिक्षकों का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम में निहित विषय-वस्तु और सूचनाओं को संप्रेषित करना ही नहीं, अपितु बालक की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। सामान्य बालकों में ऐसी भावना उत्पन्न करें कि वे दिव्यांग बालकों की कठिनाइयों को समझ सकें और उन्हें समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर सकें। इस शोध से शोधकर्ताओं को शोध निर्देश एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसमें नये अध्ययन की रूपरेखा बनाने में शोधकर्ताओं को सहायता मिलेगी।

समाज की दृष्टि से भी यह शोधकार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। दिव्यांगता व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं करती है, अपितु उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह शिक्षा एवं रोज़गार पाने का अधिकार प्राप्त करवाती है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनें। दिव्यांग बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों का पता लगाकर उन्हें शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक कार्य सिखाकर जीवन निर्वाह योग्य बनाना ताकि वे स्वावलंबी बनकर पूर्ण रूप से आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। यह शोध दिव्यांग बालकों को निर्देशन सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली शैक्षिक संस्थाओं तथा समाज कल्याण विभाग जैसी संस्थाओं के लिए उपादेय सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ

एस.आई.आर.टी. के सभागार से *ऋग्वेद* (श्रृक 1-112-8).

कुमारी, शारदा. 2011. भिन्न रूप से सक्षम बच्चों का विशेष विद्यालय से नियमित विद्यालयों में परागमन (ट्रांज़िशन) — एक अध्ययन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष 32, अंक 1, जुलाई 2011, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली. पृ. 61.

जोशी, नीरज और राजेश, कुमार. 2013. नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के समायोजन पर विद्यालयी पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष 34, अंक 2. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली. पृ. 42.

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के लिए समावेशित शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक स्तर पर निःशक्त विद्यार्थियों की समावेशित शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान. 2010–11. *बच्चों के शैक्षिक संबलन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल*. उदयपुर, राजस्थान.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

रिचर, डी. स्मिथ. 2000. 'प्रोमोटिंग द हेल्थ ऑफ़ पीपल विद् फिज़िकल, डिसएबिलिटीज़ — ए डिस्कशन ऑफ़ द फ़ाइनेंसिंग एंड ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ पब्लिक हेल्थ सर्विसिज़ इन ऑस्ट्रेलिया. *हेल्थ प्रोनोशन इंटरनेशनल ऑक्सफ़ोर्ड जर्नल*. वॉल्यूम 15, अंक 1. ब्रिटेन. (http://heapro.oxfordjournal.org/)

सिंह, सीमा. 2001. दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता से संबंधित पाठ्यक्रम एवं पुनर्वास अपेक्षा. *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू*. वॉल्यूम 37(1), पृ. 4–96.

http://www.Shodhganga.inflibnet. ac.in

http://www.jstor. Org

http://www.ijird. Com

http://www.heapro. Oxfordjournal.org

http://www.ijsr.net

http://www.edupubucation.com

http://www.scirp.org/journal/psych